

राइजिंग राजस्थान के निवेशकों को मिलेगा डिस्काउंट

बड़े बाजारों में दिवाली जैसी होगी सजावट, खास तरह से होगा मेहमानों का स्वागत

मॉर्निंग न्यूज़ @ जयपुर। राइजिंग राजस्थान के दौरान दुनियाभर से जयपुर आने वाले निवेशकों का जयपुर व्यापार मंडल द्वारा स्वागत किया जाएगा। इस दौरान जयपुर के सभी प्रमुख बाजारों में निवेशकों को न सिर्फ डिस्काउंट दिया जाएगा। बल्कि हर व्यापारी का दण्डु पहना स्वागतों के साथ-साथ स्वागत किया जाएगा। दरअसल, राइजिंग राजस्थान समिट की तैयारियों को लेकर हेरिटेज निगम मुख्यालय में गुस्वर को शहर के व्यापार मण्डलों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। हेरिटेज निगम मेजर कुसुम यादव को अध्यक्षता में हुई बैठक में निवृत्त लाइन विभाध्यक निगम शर्मा, आयुक्त अरुण कुमार हबीजा समेत जयपुर व्यापार मंडल के अधिकारियों और शहर के प्रमुख व्यापारी मौजूद रहे।



होने वाले राइजिंग राजस्थान में शामिल हो रहे देशी - विदेशी अतिथियों को स्वागत के लिए पदक पांचवे दिवस के आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि तीन दिन तक जयपुर शहर में राइजिंग राजस्थान के अतिथियों को खूबसूरती से नज़राने, ऐसे में बाजारों में दीवाली जैसी रौनक रहेगी, हम सभी उनका

राजस्थानी अंदाज में स्वागत करेंगे। जिससे वे अपने साथ जयपुर की मेहमाननाजी को खूबसूरत याद साथ लेकर जाएंगे। वहीं जयपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्याम शंकर ने सर्व सम्मति से आयोजन के दौरान अतिथियों को तीन दिन तक डिस्काउंट रेट पर खरीदारी करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जयपुर के सभी बाजारों

नगर निगम ग्रेटर टीम ने 1 केटर सामान किया जल

मॉर्निंग न्यूज़ @ जयपुर।

नगर निगम ग्रेटर आयुक्त रूमणिप रियाड़ के निर्देशानुसार उपायुक्त सतर्कता अजय कुमार शर्मा के नेतृत्व में गुस्वर को सतर्कता शाखा की टीम द्वारा नगर निगम जयपुर ग्रेटर के क्षेत्राधिकार में मोती डूंगरी सफ़िल के पास, आरआरसी सेक्टर के आर-पास, विद्याधर नगर स्टेडियम से अस्थाई-लनक्रमण करने वाली के विस्ड 01 केटर सामान जल किया गया।

उपायुक्त सतर्कता अजय कुमार ने बताया कि नगर निगम ग्रेटर क्षेत्राधिकार में मोती डूंगरी सफ़िल के पास, आरआरसी सेक्टर के आर-पास, विद्याधर नगर स्टेडियम से अस्थाई अतिक्रमण हटवाया गया। उपरोक्त कार्यवाही के दौरान 01 केटर सामान जल कर गोदाम में परिवर्तित गया।

सर्वों में 35 प्रतिशत खरीदारों ने अल्ट्रा-लवजरी संपत्तियों पर दिखाई रुचि

मॉर्निंग न्यूज़ @ जयपुर।

मैंजिकविक्स के नवंबर मास सर्वेक्षण में 35 प्रमुख शहरों में लवजरी रियल एस्टेट के प्रति मजबूत ग्राहक प्रतिक्रिया देखने की मिली है। सर्वेक्षण में यह सामने आया है कि 25.5 प्रतिशत संभावित खरीदार 71 करोड़ से ऊपर की संपत्तियों पर रियल एस्टेट की खरीद रहे हैं, और 3.5-5 करोड़ के खंड में विशेष रुचि दिखाई दे रही है। लवजरी और अल्ट्रा-लवजरी श्रेणी में रुचि में भारी सुविधा हुई है, जिसमें 35 प्रतिशत उपरदाताओं ने रुचि इच्छा व्यक्त की, जो पिछले तिमाही में रिकॉर्ड किए गए 18 प्रतिशत के लगभग दोगुना है। यह महत्वपूर्ण बदलाव लवजरी हाउसिंग बाजार में बढ़ते आवासियों को दर्शाता है। सर्वेक्षण में यह भी सामने आया कि यह रुचि के स्थायी के प्रति एक मजबूत प्रतिक्रिया है। लगभग 45 प्रतिशत उपरदाता 2,000 वर्ग फीट से ऊपर के घरों को लक्ष्य कर रहे हैं, जो पोर्टेबल-कोविड जीवनशैली में बदलाव और खुद को अपेक्षा में है।

दिवाली स्नेह मिलन एवं अन्नकूट प्रसादी का आयोजन

मॉर्निंग न्यूज़ @ जयपुर।

दिवाली स्नेह मिलन एवं अन्नकूट प्रसादी का आयोजन सेन समाज शिव शंकर सेवा एवं विकास समिति जयपुर द्वारा किया गया। मंदिरादन ट्रेड शरी सेन समाज जयपुर अधिनियम श्री शिव मंदिर बंध कि घाटी दिल्ली बहापन रोड पर एक आयोजन किया गया। समिति के कोषाध्यक्ष उमेश सेन समोदर बालों ने बताया कि इस आयोजन में राम सिंह नेन खानेवाला, भवानी सायब हबीबत, टुट्ट सचिव जगदीश खवारा, संजय सेन भांकरोट, कृष्ण विहारी जामदानीवाल, रामजीदावाल सेन कार्यवाहक अध्यक्ष टुट्ट मुख रूप से शामिल हुए। समिति अध्यक्ष कालूराम सेन भांकरोट बालों ने अतिथियों का स्वागत स्वरूप का। होल अयोध्यासिंह के अध्यक्ष एवं सेन समाज के बड़े भागशाह प्रोफेडर लुनीवाल कि भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। आयोजित कार्यक्रमों में टुट्ट गेडव लुनीवाल ने समाज को आभार किया कि जल्दी ही हम सब के प्रयासों से सेन मंदिर स्थापित की असाधारण तन्नों से मुक्त कर टुट्ट के लक्ष्य में ले लिया जाएगा। इस घोषणा से सेन समाज में अपार हर्ष कि लहर है। मार्ग शक्ति संस्था कि मंच देवें सेन निवाला, कोराला देवी, सुमित्रा देवी, सती देवी, रमा देवी अन्य महिलायें सहित विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस अवसर पर सेन समाज लोगों ने अन्नकूट पंचत प्रसादी का आनंद लिया।

प्रशिक्षु अधिकारियों के दल ने जयपुर में दका भ्रमण किया

मॉर्निंग न्यूज़ @ जयपुर।

राजस्थान सेवा सेना-2024 वेंच के प्रशिक्षुओं अधिकारियों के दल ने जयपुर में प्रेषित व मेट्रो उद्योगों का भ्रमण किया। प्रशिक्षु अधिकारियों के दल को प्रशासनिक पदना स्थित वैदक कक्ष में जयपुर मेट्रो के निदेश प्रबंधन, परिचालन एवं परिचालन की समग्र जानकारी प्रोडेशन के माध्यम से दी गई। इस दौरान जयपुर मेट्रो के निदेशक विनोद शर्मा उल्लेखनीय रहे। प्रशिक्षुओं ने विविध

प्रबंधन एवं विभिन्न मूद्रों पर निदेशक विनोद से विस्तृत जानकारी प्राप्त की। दल ने मेट्रो के मासरोवित डिप्टी निदेशक परिचालन निदेशक कक्ष, डिप्टी निदेशक कक्ष एवं पुलिस निदेशक कक्ष की दैनिकी कार्य प्रणाली के साथ-साथ मेट्रो के सिग्नल, ट्रांसमिशन तथा छोटी चोपड़ स्थित ऑटो गैरवेज में सुरक्षा प्रमुख की वस्तुओं को सड़कन व संरक्षित करने आदि की जानकारी प्राप्त की। भ्रमण के अन्त में प्रशिक्षु दल ने जयपुर मेट्रो के निदेशक एवं संपालन प्रक्रिया की सराजना करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक वैभव नाहरियर, निदेशक विनोद शर्मा लड़ख एवं जयपुर मेट्रो की संपूर्ण टीम को धन्यवाद ज्ञापन किया।

हिंगोनिवा गोशाला में गोपाष्टमी पर 51 कुंडीयों को यज्ञ, आयोजन की तैयारी

मॉर्निंग न्यूज़ @ जयपुर।

जयपुर के पार वृन्दन के श्रीगुरु बराराम सेवा ट्रस्ट के द्वारा आयोजित हिंगोनिवा गोशाला में गोपाष्टमी पर विशेष संघर्षात की तैयारी की जा रही है। गोपाष्टमी पर हिंगोनिवा गोशाला में इस बार 51 कुंडीयों को यज्ञ का भव्य यज्ञ आयोजन किया जा रहा है जिसमें गो माता की सेवा का संकल्प लिया जाएगा। समारोह की मुख्य अतिथि मेजर जेड सायबा गुजर और कुसुम यादव होगी। हिंगोनिवा गोशाला की पुनर्वास केंद्र में प्रातः 7 बजे से सांठ 6 बजे तक गोपाष्टमी महोत्सव में भक्त गो माता का पूजन कर उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करेंगे तथा उनका आशीर्वाद लेंगे। भवानी कृष्ण को गाय अर्पण दिये हैं और वे यज्ञ में गवालों की सेवा मिलकर गाय चरचा का काम से। पाकिस्तान गवालों में 33 कुंदाई देवी-देवताओं का वास होगा है। गोपाष्टमी पर हिंगोनिवा गोशाला में गोपाल पर्व की सुंदर शुरुआत बनाई गई है जिसमें भक्त भवानी कृष्ण को लौला का जीवन दर्शन कर देंगे। महोत्सव की शुरुआत पृथक पर्व की सौंदर्य में भक्त भवन-कौन के माध्यम से गो माता के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने साधु हो गौमाता को हरा चारा और पुड खिलाकर सेवा करेंगे।

मादा श्वान और बच्चों की जहर देकर हत्या

मॉर्निंग न्यूज़ @ जयपुर।

मोडाला थाना इलाके में मादा श्वान और उसके दो बच्चों को जहर देकर हत्या करने का मामला सामने आया है। इस संदर्भ में एक एनओओ संवालय के मामला दर्ज करवाया है। मामले की जांच एएसआई मुकेश सिंह कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार चैतक माया प्रतापनार निवस्यी लाज जैन ने मामला दर्ज कराया कि उसके पास मोडाला गोंगावड अग्रवाल धर्मशाला के पास से एक महिला का फोन आया। महिला ने फोन पर बताया कि मरुद पर एक मादा श्वान और उसके दो बच्चों की लाश पड़ी है। मरुद पर जहर देखा तो एक मादा श्वान और उसके बच्चे मृत अवस्था में पड़े और उनके पूं से रक्त आ रहे हैं। इससे प्रतीति हो रहा था कि किसी ने उसे जहर दे दिया है।

नेशनल ब्यूटी पेजेंट इटर्नल इंडिया में 30 फाइनलिस्ट पेश करेंगी दावेदारी

मॉर्निंग न्यूज़ @ जयपुर।

भारत की प्रतिभागन मॉडल को सौंपने के क्षेत्र में बेहतरीन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित नेशनल लेवल ब्यूटी पेजेंट इटर्नल इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले 9 नवंबर को अरवली रोड स्थित 9 नवंबर कैंपस में होने जा रहा है। आयोजक नवीन कुमार और दीपिका सिंह ने बताया कि साय 7 बजे से शुरू होने वाली इस सोईय प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से आई 30 फाइनलिस्ट मॉडलस जयपुर के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगी। इस दौरान जयपुर में मेकअप



डिजाइनर ड्रेसिंग में सजी धनी मॉडलस को कैचवाक के अलावा टैलेंट टैलेंट में उनकी बेसुकीय प्रतिया के आधार पर विजेता का चुनाव करेंगे। कार्यवाक में सैलिब्रिटी ग्रेटर के तीर पर मरिचन अर्थ इवेंट्सनेशनल मुद्रा एवकम, मिस इंडिया 2013 मरिचन आह्ला,

JM FINANCIAL
 जेएम फाइनेंशियल एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
 कॉर्पोरेट पब्लिकेशन संख्या : U67190MH2007PLC174287
 पंजीकृत कार्यालय : 7वीं मंजिल, पुरावा, अप्पारावत मारग पार्क, पुरावा, मुंबई - 400 025
 अधिकृत अधिकारी : सिद्धा सिक्कर, ईमेल : questions.ar@jmf.com
 फोन : 022 6224 8661, वेबसाइट : www.jmfinancial.com

अचल संपत्तियों और चल संपत्तियों की विली के लिए विली नोटिस (निर्णय 8(6) के प्राधान्य, निर्णय 6(2) के प्राधान्य और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) निर्णय, 2002 के निर्णय 9(1) के प्राधान्य देते।

विलीय अतिरिक्त के प्रतिनिधित्व और पुरविलायन तथा प्रविलीय हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI अधिनियम) के अंतर्गत अचल संपत्तियों और चल संपत्तियों की विली के लिए ई-निवेदन विली नोटिस, अधिनियम (निर्णय) निर्णय, 2002 (प्रावर्तन निर्णय) के निर्णय 8(6) के प्राधान्य, निर्णय 6(2) के प्राधान्य और निर्णय 9(1) के प्राधान्य के साथ प्राप्त जाएगा।

आय जनात और विशेष रूप से गुरु कृष्ण विद्यार्थी प्रवृत्ति (आयुक्त), सार वर सेने, सुभाष चंद सेने, कृष्ण सेने, मोहन सार सेने (एच-आयुक्त) को विलीय विलीय जनात के लिए ई-निवेदन विली नोटिस प्रेषित करि निर्देशक प्रवृत्ति के निर्णय/प्रवृत्ति है, जो निर्णय जून 2022 - ट्रस्ट के ट्रेडी के रूप में कार्य कर रही है (सुविधा निर्णय), जेएनएफएनएन के प्रवृत्ति अधिनियम 30 अप्रैल, 2024 को रूप में लागू करने का अधिकार प्राप्त है।

अंतिम सूची (रु. में) : 5, 76,750/- (सात लाख साठहत्तर हजार सात सौ रुपये केवल)
 बचाना वाली जमा (रु. में) : 5, 71,875/- (सात लाख अठारह हजार सात सौ रुपये केवल)
 निशुल्क की तिथि : 09.12.2024 (सुबह 11 बजे से साय 4 बजे तक)

विलीय के लिए अधिसूचना अखेदक जमा करने की अंतिम तिथि (अपर अधिलेखन बचाना वाली के साथ) : 16.12.2024 साय 5 बजे तक
 निवेदनी की तिथि : 20.12.2024 (सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक)

(नोट: उपरोक्त संपत्तियों गुरु कृष्ण विद्यार्थी प्रवृत्ति प्रवृत्ति के स्वामित्व में है।)
 यदि कोई जनात चाहे : सुविधा अधिसूचना को उनके स्वामित्व जनात के अंतर्गत जनात नहीं है विली के विस्तार निर्णय और विली के लिए, कृष्ण पुरविलायन अधिसूचना की वेबसाइट यानी https://www.jmfinancial.com/Home/AssetsForSale या https://www.bankauctions.in पर दिए गए लिंक को देखें।

आयुक्त अधिकृत अधिकारी : सिद्धा सिक्कर, ईमेल : questions.ar@jmf.com
 फोन : 022 6224 8661, वेबसाइट : www.jmfinancial.com

JM FINANCIAL
 जेएम फाइनेंशियल एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
 कॉर्पोरेट पब्लिकेशन संख्या : U67190MH2007PLC174287
 पंजीकृत कार्यालय : 7वीं मंजिल, पुरावा, अप्पारावत मारग पार्क, पुरावा, मुंबई - 400 025
 अधिकृत अधिकारी : सिद्धा सिक्कर, ईमेल : questions.ar@jmf.com
 फोन : 022 6224 8661, वेबसाइट : www.jmfinancial.com

अचल संपत्तियों और चल संपत्तियों की विली के लिए विली नोटिस (निर्णय 8(6) के प्राधान्य, निर्णय 6(2) के प्राधान्य और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) निर्णय, 2002 के निर्णय 9(1) के प्राधान्य देते।

विलीय अतिरिक्त के प्रतिनिधित्व और पुरविलायन तथा प्रविलीय हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI अधिनियम) के अंतर्गत अचल संपत्तियों और चल संपत्तियों की विली के लिए ई-निवेदन विली नोटिस, अधिनियम (निर्णय) निर्णय, 2002 (प्रावर्तन निर्णय) के निर्णय 8(6) के प्राधान्य, निर्णय 6(2) के प्राधान्य और निर्णय 9(1) के प्राधान्य के साथ प्राप्त जाएगा।

आय जनात और विशेष रूप से गुरु कृष्ण विद्यार्थी प्रवृत्ति (आयुक्त), सार वर सेने, सुभाष चंद सेने, कृष्ण सेने, मोहन सार सेने (एच-आयुक्त) को विलीय विलीय जनात के लिए ई-निवेदन विली नोटिस प्रेषित करि निर्देशक प्रवृत्ति के निर्णय/प्रवृत्ति है, जो निर्णय जून 2022 - ट्रस्ट के ट्रेडी के रूप में कार्य कर रही है (सुविधा निर्णय), जेएनएफएनएन के प्रवृत्ति अधिनियम 30 अप्रैल, 2024 को रूप में लागू करने का अधिकार प्राप्त है।

अंतिम सूची (रु. में) : 5, 76,750/- (सात लाख साठहत्तर हजार सात सौ रुपये केवल)
 बचाना वाली जमा (रु. में) : 5, 71,875/- (सात लाख अठारह हजार सात सौ रुपये केवल)
 निशुल्क की तिथि : 09.12.2024 (सुबह 11 बजे से साय 4 बजे तक)

विलीय के लिए अधिसूचना अखेदक जमा करने की अंतिम तिथि (अपर अधिलेखन बचाना वाली के साथ) : 16.12.2024 साय 5 बजे तक
 निवेदनी की तिथि : 20.12.2024 (सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक)

(नोट: उपरोक्त संपत्तियों गुरु कृष्ण विद्यार्थी प्रवृत्ति प्रवृत्ति के स्वामित्व में है।)
 यदि कोई जनात चाहे : सुविधा अधिसूचना को उनके स्वामित्व जनात के अंतर्गत जनात नहीं है विली के विस्तार निर्णय और विली के लिए, कृष्ण पुरविलायन अधिसूचना की वेबसाइट यानी https://www.jmfinancial.com/Home/AssetsForSale या https://www.bankauctions.in पर दिए गए लिंक को देखें।

आयुक्त अधिकृत अधिकारी : सिद्धा सिक्कर, ईमेल : questions.ar@jmf.com
 फोन : 022 6224 8661, वेबसाइट : www.jmfinancial.com

JM FINANCIAL
 जेएम फाइनेंशियल एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
 कॉर्पोरेट पब्लिकेशन संख्या : U67190MH2007PLC174287
 पंजीकृत कार्यालय : 7वीं मंजिल, पुरावा, अप्पारावत मारग पार्क, पुरावा, मुंबई - 400 025
 अधिकृत अधिकारी : सिद्धा सिक्कर, ईमेल : questions.ar@jmf.com
 फोन : 022 6224 8661, वेबसाइट : www.jmfinancial.com

अचल संपत्तियों और चल संपत्तियों की विली के लिए विली नोटिस (निर्णय 8(6) के प्राधान्य, निर्णय 6(2) के प्राधान्य और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) निर्णय, 2002 के निर्णय 9(1) के प्राधान्य देते।

विलीय अतिरिक्त के प्रतिनिधित्व और पुरविलायन तथा प्रविलीय हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI अधिनियम) के अंतर्गत अचल संपत्तियों और चल संपत्तियों की विली के लिए ई-निवेदन विली नोटिस, अधिनियम (निर्णय) निर्णय, 2002 (प्रावर्तन निर्णय) के निर्णय 8(6) के प्राधान्य, निर्णय 6(2) के प्राधान्य और निर्णय 9(1) के प्राधान्य के साथ प्राप्त जाएगा।

आय जनात और विशेष रूप से गुरु कृष्ण विद्यार्थी प्रवृत्ति (आयुक्त), सार वर सेने, सुभाष चंद सेने, कृष्ण सेने, मोहन सार सेने (एच-आयुक्त) को विलीय विलीय जनात के लिए ई-निवेदन विली नोटिस प्रेषित करि निर्देशक प्रवृत्ति के निर्णय/प्रवृत्ति है, जो निर्णय जून 2022 - ट्रस्ट के ट्रेडी के रूप में कार्य कर रही है (सुविधा निर्णय), जेएनएफएनएन के प्रवृत्ति अधिनियम 30 अप्रैल, 2024 को रूप में लागू करने का अधिकार प्राप्त है।

अंतिम सूची (रु. में) : 5, 76,750/- (सात लाख साठहत्तर हजार सात सौ रुपये केवल)
 बचाना वाली जमा (रु. में) : 5, 71,875/- (सात लाख अठारह हजार सात सौ रुपये केवल)
 निशुल्क की तिथि : 09.12.2024 (सुबह 11 बजे से साय 4 बजे तक)

विलीय के लिए अधिसूचना अखेदक जमा करने की अंतिम तिथि (अपर अधिलेखन बचाना वाली के साथ) : 16.12.2024 साय 5 बजे तक
 निवेदनी की तिथि : 20.12.2024 (सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक)

(नोट: उपरोक्त संपत्तियों गुरु कृष्ण विद्यार्थी प्रवृत्ति प्रवृत्ति के स्वामित्व में है।)
 यदि कोई जनात चाहे : सुविधा अधिसूचना को उनके स्वामित्व जनात के अंतर्गत जनात नहीं है विली के विस्तार निर्णय और विली के लिए, कृष्ण पुरविलायन अधिसूचना की वेबसाइट यानी https://www.jmfinancial.com/Home/AssetsForSale या https://www.bankauctions.in पर दिए गए लिंक को देखें।

आयुक्त अधिकृत अधिकारी : सिद्धा सिक्कर, ईमेल : questions.ar@jmf.com
 फोन : 022 6224 8661, वेबसाइट : www.jmfinancial.com

JM FINANCIAL
 जेएम फाइनेंशियल एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
 कॉर्पोरेट पब्लिकेशन संख्या : U67190MH2007PLC174287
 पंजीकृत कार्यालय : 7वीं मंजिल, पुरावा, अप्पारावत मारग पार्क, पुरावा, मुंबई - 400 025
 अधिकृत अधिकारी : सिद्धा सिक्कर, ईमेल : questions.ar@jmf.com
 फोन : 022 6224 8661, वेबसाइट : www.jmfinancial.com

अचल संपत्तियों और चल संपत्तियों की विली के लिए विली नोटिस (निर्णय 8(6) के प्राधान्य, निर्णय 6(2) के प्राधान्य और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) निर्णय, 2002 के निर्णय 9(1) के प्राधान्य देते।

विलीय अतिरिक्त के प्रतिनिधित्व और पुरविलायन तथा प्रविलीय हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI अधिनियम) के अंतर्गत अचल संपत्तियों और चल संपत्तियों की विली के लिए ई-निवेदन विली नोटिस, अधिनियम (निर्णय) निर्णय, 2002 (प्रावर्तन निर्णय) के निर्णय 8(6) के प्राधान्य, निर्णय 6(2) के प्राधान्य और निर्णय 9(1) के प्राधान्य के साथ प्राप्त जाएगा।

आय जनात और विशेष रूप से गुरु कृष्ण विद्यार्थी प्रवृत्ति (आयुक्त), सार वर सेने, सुभाष चंद सेने, कृष्ण सेने, मोहन सार सेने (एच-आयुक्त) को विलीय विलीय जनात के लिए ई-निवेदन विली नोटिस प्रेषित करि निर्देशक प्रवृत्ति के निर्णय/प्रवृत्ति है, जो निर्णय जून 2022 - ट्रस्ट के ट्रेडी के रूप में कार्य कर रही है (सुविधा निर्णय), जेएनएफएनएन के प्रवृत्ति अधिनियम 30 अप्रैल, 2024 को रूप में लागू करने का अधिकार प्राप्त है।

अंतिम सूची (रु. में) : 5, 76,750/- (सात लाख साठहत्तर हजार सात सौ रुपये केवल)
 बचाना वाली जमा (रु. में) : 5, 71,875/- (सात लाख अठारह हजार सात सौ रुपये केवल)
 निशुल्क की तिथि : 09.12.2024 (सुबह 11 बजे से साय 4 बजे तक)

विलीय के लिए अधिसूचना अखेदक जमा करने की अंतिम तिथि (अपर अधिलेखन बचाना वाली के साथ) : 16.12.2024 साय 5 बजे तक
 निवेदनी की तिथि : 20.12.2024 (सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक)

(नोट: उपरोक्त संपत्तियों गुरु कृष्ण विद्यार्थी प्रवृत्ति प्रवृत्ति के स्वामित्व में है।)
 यदि कोई जनात चाहे : सुविधा अधिसूचना को उनके स्वामित्व जनात के अंतर्गत जनात नहीं है विली के विस्तार निर्णय और विली के लिए, कृष्ण पुरविलायन अधिसूचना की वेबसाइट यानी https://www.jmfinancial.com/Home/AssetsForSale या https://www.bankauctions.in पर दिए गए लिंक को देखें।

आयुक्त अधिकृत अधिकारी : सिद्धा सिक्कर, ईमेल : questions.ar@jmf.com
 फोन : 022 6224 8661, वेबसाइट : www.jmfinancial.com